न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

(Bank Case)

प्रकरण संख्या – 103 / 2022

GCMS NO- 2022/ 110

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक प्रधान कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा–390007, गुजरात एवं कॉपरेट कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई– 400051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा –324007 में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश शर्मा।

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1- श्री मनोहर इसुकाला (ऋणी व बंधककर्ता)

पता– प्लॉट नं. 39, गली नं. 2, वाटिका विहार, थेकडा रोड, कोटा

दूसरा पता– ए–35, समृद्वि रेजिडेंसी, गांव बोरखेडा, तहसील– लाडपुरा, खसरा नं. 362, 364, 365, कोटा राजस्थान–324001

तीसरा पता– वेलस्टार फेसिलिटीस सर्विसेज, समृद्वि नगर, बोरखेडा पुलिस स्टेशन के पास, बॉरा रोड, कोटा राजस्थान– 324001

2- श्रीमती इसुकाला सुनीथा राव पत्नि श्री मनोहर राव (सहऋणी)

पता– प्लॉट नं. 39, गली नं. 2, वाटिका विहार, थेकडा रोड, कोटा राजस्थान –

दूसरा पता– ए–35, समृद्वि रेजिडेंसी, गांव बोरखेडा, तहसील– लाडपुरा, खसरा नं. 362, 364, 365, कोटा राजस्थान–324001

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 07-06.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक प्रधान कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा–390007, गुजरात एवं कॉर्पोरेट कार्यालय– आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई–400051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय–प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा –324007 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 16.07.2018 को 46,80,000/–(अक्षरे छियालीस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती इसुकाला सुनीथा राव पत्नि श्री मनोहर इसुकाला के नाम से एक आवासीय सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. ए–35, समृद्वि रेजिडेंसी, गांव बोरखेडा, तहसील लाडपुरा, खसरा नं. 362, 364, 365, जिला–कोटा राजस्थान–324001 पर स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर फिट है, जिसकी चर्तुर्थ सीमाऐं– उत्तर– भूखण्ड संख्या ए–34, दक्षिण– भूखण्ड संख्या ए–36, पूर्व– अन्य आराजी, पश्चिम – रोड 40 फुट चौडा है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 30.06.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 51,31,469/-(अक्षरे इक्यावन लाख इकत्तीस हजार चार सो उन्नतर रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 25.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 25.03.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तृहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्रीमती इसुकाला सुनीथा राव पत्नि श्री मनोहर इसुकाला के नाम से एक आवासीय सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. ए–35, समृद्धि रेजिडेंसी, गांव बोरखेडा, तहसील लाडपुरा, खसरा नं. 362, 364, 365, जिला–कोटा राजस्थान–324001 पर स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 स्क्वायर फिट है, जिसकी चर्तुर्थ सीमाऐं– उत्तर– भूखण्ड संख्या ए–34, दक्षिण– भूखण्ड संख्या ए–36, पूर्व– अन्य आराजी, पश्चिम – रोड 40 फुट चौडा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07.06.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)